Annexure- 1

Form- 1
For linear projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. - 6

Dated.....9.9.2019

**To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN,**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3[td] August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial act and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5[th] February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of linear projects it is certified that **0.37279 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on Sahiya-Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (68.702 Km., 0.37279 hac.)** (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of in Kwanu village in Kalsi Tehsil.

It **is further certified that**

(a)..............................................................The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.37279 hactare** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to ................................................ annexure............

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature

(..........................)

Full name and official seal of District Collector

उप जिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी।

जिलाधिकारी देहरादून।

# कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

## जिला स्तरीय समिति

देहरादून जनपद के विकास खंड चकराता में रिलायंस जिओ 4जी प्रोजेक्ट औ०ऍफ़० सी० केबिल बिछाने हेतु देहरादून जनपद में सहिया–काकरी से मिलोथ एवं श्री क्यारी से मिलोथ मोटर मार्ग में आने वाली 0.37279 हैक्टर वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 31.8.2019 को आयोजित की गयी थी जिसमे निम्न अधिकारी एवं सदस्य उपस्तित हुए ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक श्री सी० रविशंकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

| क्र०सं० | अधिकारी का नाम | पद नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सी० रविशंकर | जिलाधिकारी, देहरादून | जिलाधिकारी देहरादून |
| 2 | श्री दीप चन्द्र आर्य | प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वनप्रभाग, चकराता | उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग चकराता |
| 3 | जीतेन्द्र रावत | जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून | जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून |
| 4 | केशर सिंह नेगी | जिला पंचायत सदस्य | केसर सिंह नेगी जि० पं० सदस्य नहरी हरिपुर |

इस बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right एवं Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विमर्श किया गया । उक्त समिति के प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान में विचारधीन उक्त वन भूमि हस्तांतरण में यह पाया गया है कि कालसी वनप्रभाग की वन भूमि के चिन्हित भू . भाग पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या परम्परागत वन निवासी से सम्बंधित समुदाय का Right एवं Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । सतह वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है ।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है । अंत में धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया ।

जिलाधिकारी देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून ।

प्रतिलिपि . रिलायंस जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड देहरादून ।

# कार्यालय – उप जिलाधिकारी, कालसी देहरादून
## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
## उपखण्ड़ स्तरीय समिति, कालसी, देहरादून

उपखण्ड कालसी, देहरादून परिक्षेत्र के चकराता वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Sahiya-Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (Total Length-68.702 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल वन क्षूमि 0.37279 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति, (तहसील – ) की दिनांक 17-5-19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्रीमती अपूर्वा सिंह उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्रीमती अपूर्वा सिंह ..... उप जिलाधिकारी ..... अध्यक्ष।
2. श्री सुबोध कुमार ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य।
3. श्री ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य।
4. श्री ..... बी0डी0सी0 क्षेत्र ..... सदस्य।

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Sahiya-Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (Total Length-68.702 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल वन क्षूमि 0.37279 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.** के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Sahiya-Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (Total Length-68.702 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल वन भूमि 0.37279 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील..... / जनपद–.....

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/5/2019.

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति